International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-8, Issue-3 May-June- 2021
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का अध्यन करना

Mukesh Kumari,
Research Scholar, Dept of Hindi,
Himalayan Garhwal University

Dr Poonam Devi,
Associate Professor, Dept of Hindi,
Himalayan Garhwal University

शोध सार

इस आयोग की संस्तुतियाँ भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक क्रान्तिकारी घटना थी। इसने कुछ व्यावहारिक सिफारिशें की गईं। जिन्होंने शिक्षा को कुछ सीमा तक पुनः जागृत कर दिया। नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा पर बल, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण तथा अनुशासन प्रशंसनीय है। पाठ्यक्रम का विविधीकरण जीवन की समस्याओं के प्रति एक यथार्थवादी शिक्षा थी। यह साहित्यिक प्रकार की शिक्षा के बुरे परिणामों तथा इसके द्वारा पैदा होने वाली निराशा, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं से पूर्णतः अवगत था। आयोग की रिपोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बहु–उद्देश्यीय स्कूल खोलने से सम्बन्धित संस्तुतियाँ समय की आवश्यकता के बिल्कुल अनुकूल थीं। यह सत्य है कि कुछ समय पश्चात इन स्कूलों को बन्द करना पड़ा। इस आयोग ने ग्रामीण स्कूलों को खोलने का सुझाव दिया। अध्यापक की स्थिति तथा कार्य की दशा में सुधार का समर्थन किया। परीक्षाओं तथा मूल्यांकनों से सम्बन्धित आयोग की सिफारिशें वास्तव में बहुत ही उत्तम थीं। यदि इन पर सख्ती से पालन किया जाता तो इसके परिणाम बहुत उत्कृष्ट होते। आयोग ने शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श का सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के विभिन्न दोषों के प्रति सामान्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्य प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के पुर्नगठन से सम्बन्धित आयोग की सिफारिशें बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों के कल्याण से सम्बन्धित आयोग की संस्तुतियाँ उपयोगी हैं। पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण विधियों में सुधार से माध्यमिक शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों में शामिल तकनीकी शिक्षा के लिए सुझाव व्यावहारिक तथा देश के हित में थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रभाव केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पुनर्विचार समिति गठित करके उसको लागू करने हेतु किया। लम्बे विचार–विमर्श के पश्चात आयोग की मूल सिफारिशों को स्वीकार किया गया। पहली यह कि माध्यमिक शिक्षा भारत के अधिकांश छात्रों के लिए अपने में पूर्ण शिक्षा हो। दूसरी यह कि यह कक्षा 6 से कक्षा 11 तक की हो। तीसरी यह कि इस स्तर पर विविध पाठ्यक्रम हों। चौथी यह कि इस स्तर पर कोई हस्तशिल्प अनिवार्य हो। पाँचवीं यह कि हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलिजों को बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया जाए। छठी यह कि छात्रों के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जाए। और सावतीं यह कि सम्पूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में समान नीति एवं समान योजना बनाने हेतु केन्द्र में 'अखिल भारतीय

माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड' का गठन किया जाए। और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इस निर्णय पर केन्द्र सरकार ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी।

प्रमुख शब्द : भाषा, संस्कृति, रीति–रिवाज, प्राचीन संस्कृति, विविधता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सशक्तिकरण,

---

प्रस्तावना

आधुनिक भारत में नई शिक्षा नीति का विशिष्ट महत्व है। इनसे रचनात्मक और नवाचार को महत्व मिलेगा प्रस्तुत शोधपत्र में उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक होता है ताकि देश की उन्नति सही तरीके से और तेजी से हो सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को 34 वर्षो के बाद लाया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पालको को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देकर उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास की महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षा के बलबूते ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। हालांकि समय के साथ–साथ हर चीजों में बदलाव आता है और उसके अनुसार शिक्षा में भी बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि पहले समय में टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था लेकिन अब दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की और कदम बढ़ा रहे है। ऐसे में बालकों को न केवल किताबी ज्ञान बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाना चाहिए ताकि अपनी योग्यताओं को बढ़ा सके और उसके बलबूते अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 2020 को संसद में नई शिक्षा नीति को लाने के लिए बिल पास किया गया। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले दो बार शिक्षण के तरीके से बदलाव हो चुका है पहला इंदिरा गांधी के दौरान और दूसरा राजीव गाधी के दौरान बच्चों को शिक्षा देने के लिए इस नई शिक्षा नीति के बारे में हर बच्चे और उनके माता पिता की जानकारी होनी चाहिए। इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में नए–नए चीजों को सीखने के प्रति रुचि जगाना है। ताकि बच्चे जीवन में अपनी योग्यताओं के बलबूते एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। इसके अतिरिक्त अपने मातृभाषा को बढ़ावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 के मॉडल में तैयार किया पहले यह 10+2 के अनुसार था। इस मॉडल के अनुसार प्रथम 5 वर्षो को फाउंडेशन स्टेज के रूप में रखा गया है, जिसका उद्देश्य के बेहतरीन भविष्य के लिए मजबूत नींव को तैयार करना है। इन 5 वर्षो के पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्राइमरी के 3 और पहली और दूसरी कक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस नई मॉडल के कारण बच्चों के लिए किताबों का बोझ हल्का हो जाएगा अब वे आनंद लेते हुए सीख पाएंगे। इसके अगले 3 वर्षो में तीसरी, चैथी और पाँचवी कक्षाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है और इन कक्षाओं के बच्चों को गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया आएगा। इसके बाद के 3 वर्षो को मध्यम स्तर की तरह माना जाएगा, जिसमे 6, 7 और 8 वी कक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इन कक्षाओं के बालकों को एक निश्चित पाठयक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं इन पाहयक्रम के अतिरिक्त बच्चों को टेक्निकल ज्ञान भी

दिए जाएंगे। बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जिससे वे भी चाइना के बच्चों की तरह ही छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और एप बनाना सीख पाएंगे। आगे के 9वी से 12वी तक की कक्षाओं को अंतिम स्तर में रखा जाएगा, जिसके दौरान बच्चे अपने मनपसंद विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर पाए। इस तरीके से नई शिक्षा नीति के माध्यम से न केवल बालकों के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा बल्कि बच्चों के शिक्षण के तरीके में भी सुधार है।

किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था वहाँ के संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं मूल्यों को संरक्षित करती है, उनका पोषण करती है तथा समयानुकूल आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन करती है। शिक्षाविदों एवं समाजशास्त्रियों का मानना है कि "समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा समाज को" ;म्कनबंजपवद पे बतमंजनतम वदिक बतमंजवत वि जीम वबपमजलद्ध। एक देश की शिक्षा प्रणाली दूसरे देश से भिन्न होती है इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की परिस्थितियाँ, वातावरण, संस्कृति एवं सभ्यता अपनी होती है किन्तु इन सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। लगभग 700 वर्ष के आसपास इस देश पर मुस्लिमों ने राज्य किया तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को प्रभावित करते रहे। उसके पश्चात यहाँ पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने अपनी भाषा तथा संस्कृति का प्रचार–प्रसार किया। इससे प्रभावित होकर आज हम विदेशी संस्कृतियों तथा रहन–सहन के अधिक करीब हो गये। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता पर जितना अध्ययन विदेशों में हो रहा है उतना हमारे देश में नहीं हो रहा है। जबकि भारतीयों के लिए प्रचीन शिक्षा प्रणाली का विशेष महत्व है जिससे हम अपनी मूल संस्कृति एवं सभ्यताओं को समझ सकें तथा अपनी मौलिकता का विकास कर सकें। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका है। स्वाधीनता से पूर्व की शिक्षा विदेशी शासकों से प्रभावित होती रही और जिससे भारतीय मौलिकता विस्मृत होती गई। आजादी के पश्चात सन् 1947 में भारतीय शिक्षा प्रणाली भारतीयों के हाथ में आ गई। उसके बाद भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदनों की संस्तुतियों एवं सुझावों से ही प्रभावित होती रही है। ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था में आन्दोलन होते रहे हैं। वही स्थिति आज आजाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विरोध में भी शिक्षा बचाओ आन्दोलन ;अम म्कनबंजपवद डवअमउमदजद्ध चलाया गया जिसके कारण लगातार तीन समितियों का गठन किया गया, उनका भी कोई सार्थक परिणाम परिलक्षित नहीं हुआ है। इन आयोगों एवं समितियों की पृष्ठभूमि क्रमवार एक–एक करके स्पष्ट करेंगे तथा स्वाधीनता पश्चात शिक्षा में हुए परिवर्तनों तथा आयोगों पर भी दृष्टिपात करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। राष्ट्र के चिन्तकों ने राष्ट्र निर्माण के लिए सोचना प्रारम्भ किया। हर क्षेत्र में परिवर्तन एवं सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। शिक्षा का क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह सकता था। सबसे पहले हमारा ध्यान तत्कालीन उच्च शिक्षा पर गया। उस समय यह सैद्धान्तिक अधिक व्यावहारिक कम था। इसका स्तर भी अन्य देशों की तुलना में निम्न था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करे जो विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे सकें। भारत सरकार ने इस सुझाव पर 14 नवम्बर 1948 को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग के प्रमुख सदस्यों में डॉ0 जाकिर हुसैन, डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉ0 जेम्स डप, डॉ0

आर्थर मोर्गन सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये। इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। इसका कार्यक्षेत्र निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध किया जा सकता है :–

1. उच्च शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना।

2. तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करके उनके दोषों का पता लगाना।

3. छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना।

4. छात्रों में अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय सुझाना।

5. उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सुझाव देना।

6. उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उपाय बताना।

7. उच्च शिक्षा के माध्यम की समस्या पर अपनी सहमति देना।

8. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार तथा शिक्षा के पुर्नगठन के सम्बन्ध में सुझाव देना।

9. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में महाविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में सुझाव देना।

शोध की रूपरेखा

वर्तमान में राज्य की कल्याणकारी योजना में शिक्षा की प्रगति प्रमुख कर्त्तव्य है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा खाका तैयार किया जिससे राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा तय की जा सके। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय एकतत्व, अखण्डता को बनाये रखा जाए जिसके पश्चात ज्ञान की वृद्धि विज्ञान व तकनीकी के माध्यम से किया जाता है जिससे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विरासत की निरन्तर परिशोधन, आर्थिक व सांस्कृतिक विरासत की निरन्तर परिशोधन के साथ पोषित की जाती रहे। इस नीति में यह भी अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक राज्य समितियों एवं कार्य परिषदों के माध्यम से समय–समय पर सुझाव देकर सहयोग करते रहे जिसके आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण करके राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर सके। यह सुझाव इस तरह का हो कि आमजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। जिसके माध्यम से शिक्षा नीति प्रभावकारी ढंग से सामाजिक व्यवस्था के आधार पर देश मे ंजनतंत्र को संरक्षित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समझ का विकास कर सके। हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष व्यवस्था में विश्वास रखता है जिसका अर्थ यह है कि जनसामान्य को सभी धर्मों में विश्वास व आदरभाव की विचारधारा को अपनाते हुए प्राणी मात्र के लिए दया, आदर इत्यादि मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति की समीक्षा एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिकारी कार्य है। जिससे निश्चित ही कुछ तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है जो राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में उपयोगी सिद्ध होगी। शोधार्थी की ऐसी धारणा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 का परिचय :

शिक्षा के विकास से सम्बन्धित दिनांक 5 जनवरी, 1985 को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने यह कहा कि "शिक्षा को अवश्य ही राष्ट्रीय सजगता ;बवीमेपवदद्ध तथा कार्य नीति को बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में हमारे स्वाधीनता संघर्ष की महिमा तथा राष्ट्रीय एकीकरण की महत्त बिठानी होगी। हमारे विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को नई पीढ़ी के भारत की धरोहर तथा संस्कृति से परिचित कराना होगा। पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य पुस्तकों के विधि संस्कृति के संकीर्ण तथा साम्प्रदायिक व्याख्या को रोकना होगा।" उन्होंने आगे कहा – "हम अपनी विद्यालय प्रणाली में नई संचार प्रौद्योगिकी को एक विशाल स्तर पर प्रयोग करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सरकार के अधीन नौकरियों को उपाधियों से असम्बद्ध करने पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा को सुगता से सबकी पहुँच के अन्दर लाने के लिए मुक्त विश्व विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। ये विद्यालय प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता के केन्द्रों का कार्य करेगें। प्रधानमंत्री ने समाज के उत्पादक बलों के साथ शिक्षा के नैतिक सम्बन्धों पर बहुत बल दिया तथा व्यावसायिक शिक्षा के उद्योग, कृषि, संचार तथा हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों के साथ जोड़कर पुनः संगठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री के उपरोक्त कथन में वे अनिवार्यतायें शामिल हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए – मानव एक सकारात्मक सोच का प्राणी है। जन्म से मृत्यु तक, प्रत्येक अवस्था में उसकी वृद्धि तथा विकास एक अनूठी समस्या प्रस्तुत करता है। उसकी शिक्षा तथा वृद्धि की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता होती है। भारत का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन एक संकट की अवस्था से गुजर रहा है। धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा प्रजातंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि वह ग्रामीण–शहरी भेद को कम कर सके। ग्रामीण जनता के प्रशिक्षित युवाओं को लाभ पहुँचाने तथा रोजगार के अवसरों की विविधताओं को प्रोत्याहित करने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण लगायेगा ऐसी आवश्यकता है। नई पीढ़ी में मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त करने के लिए नई शैक्षिक नीति की आवश्यकता है। यह मानव संसाधन विकास के लिए नये मानक प्रदान करेगी। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकतायें सरकार के लिए, देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन करना तथा इसको लागू करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना शिक्षा में सुधार नहीं हो सकेगा।

शिक्षा की भूमिका

1. हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में "सबके लिए शिक्षा" हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियाद है।

2. शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है जिससे राष्ट्रीय एकता जन्म लेती है। वैज्ञानिक तरीके के अमल की संभावना बढ़ती है, समझ और चिन्तन में स्वतन्त्रता आती है जिससे हमारे संविधान में दिये गये समाजवाद, धर्मनिरनेक्षवाद तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है।

3. शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है।

4. कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। इसी सिद्धान्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है।

शोध का महत्व

मानव एक विवेकशील प्राणी है, उसके जीवन में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है इसमें किसी तरह का संशय नही है। जब बात किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित हो तो शिक्षा और भी महत्वपूर्ण विषय हो जाती है। हमारा राष्ट्र बहुभाषीय, अनेक संस्कृतियों का संगम व अनेक धर्मों का सर्वोत्कृष्ट स्थल है इसलिए यहां पर संचालित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिससे वहां के सभी धर्मों, सम्प्रदायों, भाषा–भाषियों व संस्कृतियों का शिक्षा द्वारा सामान्य रूप से पोषण हो सके। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986–2020 से सम्बन्धित समीक्षा की संस्तुतियों का औचित्य एवं इनका क्रियान्वयन–एक अध्ययन" विषय में शोधर्थी द्वारा किये जा रहे शोध में महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त शोध का महत्व राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। जिससे समस्त राष्ट्र की विचारधारा, भावना व नीतियाँ जुडी हुई हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस शोध के माध्यम से निम्न मौलिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकेगा। शोधार्थी ऐसी अपेक्षा रखता है।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986–2020 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी हो सकेगी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986–2020 में शिक्षा के सन्दर्भ में समीक्षा समितियों द्वारा संशोधन की जानकारी हो सकेगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से सम्बन्धित समीक्षा समितियों के औचित्य की जानकारी हो सकेगी।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा समितियों के द्वारा संशोधन के क्रियान्वयन का बोध हो सकेगा।

उक्त मौलिक प्रश्नों के उत्तर से यह निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है कि आज शिक्षा में जो उच्च स्तर ह्रास हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, शायद इसका अनुमान बुद्धिजीवियों ने उसी समय लगा लिया था जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था जिसके लिए उन्हें शिक्षा बचाओ आन्दोलन चलाना पडा था। राष्ट्रीय शिक्षा में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षा को दिशा दी जा रही है उसके परिणाम स्वरूप आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता विदेशी सोच एवं संस्कृत को अधिक चाव से आत्मसात करने लगी है और उससे प्रभावित होकर अंधानुकरण करने में लगी हुई है। राष्ट्रीय आदर्शों एवं परम्पराओं को अक्षुण बनाने की दृष्टि से स्थापित शिक्षण संस्थाओं को भी इस प्रवृत्ति ने प्रभावित किया है ये प्रभाव सकारात्मक हैं या नकारात्मक, समयानुरूप हैं या बाधित परिवर्तन अथवा मात्र अंधानुकरण, यह जांच पड़तान का विषय है। वर्तमान में नैतिक मूल्यों की दशा

में बढ़ती हुई अराजकता, भ्रष्टाचार व उच्च स्तर पर वैचारिक ह्रास इत्यादि समस्याओं हेतु कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी उक्त शोध के परिणामों से ज्ञात हो सकेगी। ऐसी शोधार्थी को अपेक्षा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की ओर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष है, जिसके अनेक महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। यह शिक्षा नीति अपने स्वरूप और अपनी प्रक्रिया में ऐतिहासिक कही जा सकती है। भारतवर्ष की आवश्यकताओं, आकांक्षा एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के साथ सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की ओर बढ़ना भी है। ध्यातव्य है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान–विज्ञान की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। अंग्रेजी के मोह में एवं समुचित व्यवस्थाएँ न होने के कारण भारतीय भाषाएँ उपेक्षित हुई हैं, निरंतर कमजोर हुई हैं और यह कहना भी सर्वथा अनुचित नहीं होगा कि कई भाषाएँ समाप्त ही हो गई। विडंबना यह रही कि शासन–प्रशासन अथवा सरकारों की ओर से इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं हुए। इस विविधतापूर्ण देश का सामान्य व्यक्ति मुख्यधारा से कोसों दूर रहा। भाषा जोड़ती है, ज्ञान–विज्ञान को यदि मातृभाषा के माध्यम से प्रसारित किया जाता अथवा किया जाए तो वह अधिक कारगर एवं प्रभावी रूप में परिणत होगा। भाषा केवल विचारों के आदान–प्रदान का साधन मात्रा ही नहीं है अपितु यह विचार, संस्कार और आधार प्रदान करने वाली महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भाषा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह महत्त्वपूर्ण पहलू है जो उस व्यक्ति को पहचान देता है। भाषा ही व्यक्ति को विभिन्न पटलों पर विचार अभिव्यक्ति हेतु सक्षम बनाती है। भाषिक ज्ञान के साथ ही शिक्षा भी व्यक्ति के निर्माण के साथ–साथ उसके व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण आयामों संस्कार, विचार, व्यवहार आदि का विकास करती है, विकृतियों से मुक्त करती है, अज्ञानता को दूर करती है। यह शिक्षा ही है जो व्यक्ति को निहित स्वार्थों से मुक्त कर परमार्थ के द्वार खोलती है और विभिन्न परिस्थितियों में उसे सामंजस्य सिखाती है। यदि सार रूप में कहा जाए तो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति दायित्वबोध जगाने का काम शिक्षा ही करती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा थाμ''शिक्षा केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, न ही यह नागरिकों को शिक्षित करने का अभिकरण है, न ही यह प्रारंभिक विचार है। यह जीवन में आत्मा का आरंभ है, सत्य तथा कर्तव्य पालन हेतु मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है जिसे ''दिव्यात्म जन्म'' कहा जा सकता है।'' गांधी जी ने भी कहा थाμ''सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास हेतु प्रेरित करती है।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने हैं, जिसमें विभिन्न बदलावों एवं आवश्यकताओं के साथ–साथ भारतीय दृष्टि की प्रधानता और भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। यह शिक्षा नीति इस रूप में भी महत्त्वपूर्ण है कि पहली बार न केवल भारत अपितु विश्व इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते हुए लोकतांत्रिक आधार को ग्रहण किया गया। गाँव–गाँव, नगर–नगर शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक एवं जन सामान्य आदि सभी के सुझाव और विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लाखों लोगों की भागीदारी से बनी यह शिक्षा नीति अपनी प्रक्रिया में दो–तीन वर्ष चली, किंतु समुद्र मंथन के समान अमृत रूप में सामने आई है। इसमें बालक अथवा शिक्षार्थी को संसाधन न मानकर एक समग्र व्यक्ति के रूप में विकसित करने की

संकल्पना निहित है। इस शिक्षा नीति के विजन में कहा गया है किμ''इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए योगदान करेगी।''2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह शिक्षा नीति शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि, छात्राों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करने वाली है। नीति का विजन स्पष्ट करता है किμ''छात्राों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। जो मानवाधिकारों, स्थाई विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।'' शिक्षा नीति की इस भावना को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा थाμ''हमारे छात्रा ग्लोबल सिटीजन तो बने, साथ–साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से ले करके जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है।''4 स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जड़ों से जोड़ने वाली होगी और जड़ों से जोड़कर छात्रा को ग्लोबल सिटीजन के रूप में भी स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण अथवा कारगर सिद्ध होगी।

पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 में और दूसरी वर्ष 1986 में आई थी, जिनमें कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान दिखाई देते हैं किंतु व्यावहारिक स्तर पर वह अपूर्ण ही रहे। भारतीय भाषाओं के प्रश्न पूर्व की शिक्षा नीतियों में प्रायः उपेक्षित ही दिखाई देते हैं। स्वतंत्रा भारत में भी शिक्षा नीतियों में मैकाले की शिक्षा नीतियों और भारत विरोधी शिक्षा दृष्टि को बनाए रखा गया। कहीं न कहीं अंग्रेजी के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। जब भी भारतीय भाषाओं अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की चर्चा की गई तो एक सुनियोजित विरोध का वातावरण कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और राजनीति के लोगों के द्वारा बनाया जाता रहा है। क्या भारतीय भाषाओं की संकल्पना के बिना भारत की संकल्पना करना समुचित होगा? हिंदी और भारतीय भाषाओं में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध व्यवहार के स्तर पर अथवा आपसी सामंजस्य के स्तर पर नहीं है। राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिंदी सदैव प्रायोजित विरोध का सामना करती रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं की विराट संकल्पना के साथ प्रस्तुत हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन–अध्यापन की दृष्टि से प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और यदि संभव है तो उच्च शिक्षण में भी मातृभाषा के प्रयोग, प्रोत्साहन की संकल्पना निश्चित रूप से सराहनीय और ऐतिहासिक प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को महत्त्व दिया गया है। वहां यह स्पष्ट किया गया है किμ''कम–से–कम कक्षा पाँच तक और बेहतर यह होगा कि कक्षा आठ और उससे आगे तक भी यदि हो सके तो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।''5 इसके साथ साथ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं अथवा मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न शोध और अनुसंधानों से

यह स्पष्ट है कि बालक अपनी आरंभिक अवस्था यानी दो से आठ, दस वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषिक ज्ञान में दक्षता प्राप्त करते हैं। उनका मानसिक विकास इस आयु में सर्वाधिक होता है। इस अवस्था में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और उनकी समझ उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली सिद्ध हो सकती है। गांधी जी ने कहा थाμ''मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियाँ क्यों न हो, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह अपनी मां की छाती से। वही मुझे जीवनदाई दूध दे सकती है... रूस ने बिना अंग्रेजी के विज्ञान में इतनी उन्नति की है। आज अपनी मानसिक गुलामी की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। मैं इस चीज को नहीं मानता।''6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा के साथ–साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण की दिशा में खुलापन लेकर सामने आई है। भारतीय चिंतन, दर्शन, अध्यात्म और ज्ञान–विज्ञान सदियों से विश्व को प्रभावित करता रहा है। गुरुकुल शिक्षण प्रणाली विश्व के लिए कौतूहल का विषय रही है, किंतु धीरे–धीरे ज्ञानार्जन का विषय बाजार और व्यवसाय पर केंद्रित होने लगा, विद्यालयों–महाविद्यालयों के रूप में भव्य भवनों के निर्माण हुए और भारतीय भाषाओं का शिक्षण अथवा भारतीय भाषाओं में शिक्षण कम होता चला गया। हिंदी में बोलना अथवा अभिव्यक्ति प्रतिबंध जैसा हो गया, दंड के विधान तक स्थितियाँ पहुँच गई। शिक्षा नीतियाँ मानव संसाधन पर केंद्रित होती चली गई। समग्र मानव की संकल्पना कहीं पीछे ही छूट गई। अधूरा ज्ञान अथवा विषय विशेष तक ही ज्ञान सीमित होता चला गया। क्षेत्रीय भाषाओं अथवा संस्कृति का लोप युवा वर्ग में दिखाई देने लगा। भारतवर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति शास्त्रीय भाषाओं के महत्त्व को भी संबोधित करती है। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ इतने विशाल रूप में है यदि उसका अवगाहन किया जाए तो एक बड़े ज्ञान का भंडार हमारे सामने उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार भारतवर्ष की अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और उड़िया आदि में भी समृद्ध ज्ञान परंपरा विद्यमान है। पूर्व की सरकारी नीतियों और पाठ्यक्रम की संरचनाओं में इस प्रकार के प्रावधान अथवा अभाव रहे जिसके चलते ज्ञान का यह विपुल भंडार उपेक्षित होता गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के साथ–साथ अंग्रेजी, कोरियाई, जापानी, थाई, जर्मन, स्पेनिश पुर्तगाली, रूसी आदि भाषाओं के शिक्षण–अध्ययन के भी प्रावधान हैं ताकि विद्यार्थी अंग्रेजी ही नहीं अपितु अन्य वैश्विक भाषाओं और संस्कृतियों के बारे में भी जानें और अपनी रुचि और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान का विस्तार करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीय विचारणीय मुद्दों की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण यह भी है कि भाषा का संबंध सीधे कला और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। हमारी संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, संगीत और कलाएँ उसे भिन्न–भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करती हैं। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि उस संस्कृति से जुड़ी हुई महत्त्वपूर्ण भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन भी किया जाए। आज विडंबना यह है कि भारतवर्ष की विभिन्न महत्त्वपूर्ण भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्रायः घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषाओं के संरक्षण, शिक्षण और संवर्धन की दिशाएँ खोलने वाली है वहीं लुप्त प्रायः अथवा संरक्षित भाषाओं को भी महत्त्व देने वाली है। इस शिक्षा नीति में भारतवर्ष की महत्त्वपूर्ण भाषाओं को

ऑडियो और वीडियो के माध्यम से संरक्षित करने का, उनकी पांडुलिपियों को प्रकाशित करने का, उनके संरक्षण का, इन भाषाओं के बोलने वाले समाजों के साथ तालमेल बनाते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की संकल्पना विद्यमान है। भारतीय भाषाओं की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा पक्ष यह भी कहा जा सकता है कि इसमें तकनीकी और डिजिटल माध्यमों के साथ जोड़कर भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर तो समन्वयात्मक बनाया ही जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके प्रोत्साहन के प्रयास किए जाएँगे। भारतीय भाषाएँ और भारतवर्ष की शास्त्रीय भाषाएँ इन सभी में आपसी तालमेल है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को विशेष आदर, सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के प्रावधान किए गए हैं। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक नीति सिद्ध होगी, इससे भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय भाषाएँ सशक्त होंगी तो सही मायनों में नया भारत–सशक्त भारत बनेगा। भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही भारतवर्ष की सांस्कृतिक विविधता के अनेक आयाम जन–जन तक पहुँचेंगे। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का आधार भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही संभव है।

निष्कर्ष

भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। विविधता में एकता के सूत्र में बंधा यह देश अनेक राज्यों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों को स्वयं में समाहित किए हुए निरंतर अपनी विकास यात्रा पर गतिशील है। लगभग दस हजार वर्षों की इस विकास यात्रा में भारत अनेक उतार–चढ़ाव के दौरों से गुजरा है। इसमें एक दौर भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता एवं सार्वभौमिकता का, दूसरा दौर विश्व सभ्यताओं के भारतीय संस्कृति में सम्मिश्रण का तथा तीसरा और वर्तमान दौर भारतीय संस्कृति के वैश्विक संस्कृति के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए प्रयासरत होने को कहा जा सकता है।

भारत प्राचीनकाल से ही अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के लिए विश्व में जाना जाता रहा है। इक्कीसवीं सदी में भारतीयों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहुँच से भारत की इसी प्राचीन पहचान में नए उपादान जोड़े हैं। आज विश्व मे सर्वत्र भारत, भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति की बढ़ती पहुँच भारत की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक हैं। विश्व में भारतीयता की इन्हीं बढ़ती पद्चापों को भारतीय भाषाओं ने प्रतिध्वनि एवं प्रतिमान दिए हैं; जिनके परस्पर सम्मिश्रण एवं संचरण ने भारतीय संस्कृति को और अधिक विस्तार दिया है। भारतीय संस्कृति के इस विस्तार में अन्य कारकों के साथ–साथ भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हुआ है।

भाषा, संस्कृति का विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण उपादान होती हैं इसीलिए जहाँ–जहाँ संस्कृति पुष्पित एवं पल्लवित होती है, वहाँ–वहाँ स्वतः ही भाषा का भी विकास होता चला जाता है। आज के वैश्विक युग में जब भारतीय समाज एवं संस्कृति ने अपनी वैश्विक पहचान निर्मित की है तो स्वतः ही भारतीय भाषाओं का भी वैश्विकरण हो गया है। अतः भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए भारतीय भाषाओं की वैश्विक पहुँच और परिधि का विश्लेषण किया जाना भी अनिवार्य प्रतीत होता हैं।

भारतीय भाषाओं के वैश्विक पद्चाप और प्राचीन संस्कृति : संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन और सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो विश्व की अधिकांश भाषाओं के शब्दों की उत्पत्ति भारतीय शब्द परंपरा से ही जुड़ी हुई है। विश्व की सभी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से होने के कारण उन सभी भाषाओं में भारतीय भाषाओं से समानता की प्रवृत्ति होना अनिवार्य एवं लाजमी है। भारतीय भाषाओं की विश्व की अन्य भाषाओं के साथ यह समानता भारतीय भाषाओं के वैश्विक स्वरूप की और संकेत इंगित करती है, जिसे संस्कृत भाषा के साथ–साथ अन्य भारतीय भाषाओं की विश्व यात्रा के अनुक्रम में समझा जा सकता हैं। जब कोई व्यक्ति अथवा समाज किसी एक स्थान से विस्थापित होता है तो वह केवल अकेला विस्थापित नही होता है अपितु उसके साथ–साथ उसकी भाषा, संस्कार एवं मान्यताएं भी विस्थापित होती हैं। इस तरह उसकी समूची दुनिया ही विस्थापित हो जाती हैं। यह विस्थापन मनुष्य के साथ–साथ उसकी भाषा, समाज एवं संस्कृति का भी होता है।

एनईपी 2020 में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से संबंधित नीतियां स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। संपूर्ण नीति दस्तावेज़ "प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध विरासत" (4) पर केंद्रित है। शिक्षा के माध्यम के साथ–साथ स्कूली पाठ्यक्रम और संसाधनों को स्थानीय बनाने के अपने प्रयासों में, देश में दशकों से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के माध्यम से प्राप्त सभी लाभों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। जैसा कि मोहम्मद जीशान कहते हैं, "वर्षों से, भारत ने राष्ट्रीय गौरव और उपनिवेशवाद विरोधी रोष सहित गलत भावनात्मक आधार पर अंग्रेजी के खिलाफ लंबे समय से चल रही लड़ाई देखी है" (जीशान 2020)।

संदर्भ सूची

1. भगवान दयाल – 'द डवलैपमैन्ट ऑफ मार्डन इण्डियन भटनागर, आर.पी एवं डॉ. भटनागर मीनाक्षी (2007) : ''शिक्षा अनुसंधान'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. बुच, एम.बी. (एडी) (1978) : ''द सैकेण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, 1972–78'', सोसायटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट, बड़ौदा।
3. बुच. एम.बी. (एडी) (1987) : ''द थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, 1978–83'' एन.सीई.आर.टी., न्यू देहली।
4. बुच, एम. पीलू एण्ड ज्योत्सना पी. दवे (एडी) (1998) : ''कन्टेम्परेरी थॉटस ऑन एजुकेशन'', सोसायटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, बड़ौदा।
5. बैस्ट, जॉन, डब्ल्यू एण्ड काहन, जेम्स वी (1995) : रिसर्च इन एजूकेशन'', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. चौबे, एस.जी. (2006) : ''भारत में शिक्षा का विकास'', इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

7. बादाम, जी., और वर्बा, एस. द सिविक कल्चरः पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशंस। सेज प्रकाशन, लंदन। 1989.
8. एल्स्टन, फिलिप. "रात में गुजरने वाले जहाजः सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लेंस के माध्यम से देखी गई मानवाधिकार और विकास बहस की वर्तमान स्थिति।" मानवाधिकार त्रैमासिक. वॉल्यूम. 27(3). 2005.
9. एंडरसन, सी. ए. और बोमन, एम. जे. "ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और आर्थिक आधुनिकीकरण।" स्कूली शिक्षा और समाज मेंः शिक्षा के इतिहास में अध्ययन, एल. स्टोन द्वारा संपादित। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, बाल्टीमोर और लंदन। 1976.
10. एंडरसन, सी.ए. "विकास की सीमा पर साक्षरता और स्कूली शिक्षाः कुछ ऐतिहासिक मामले।" शिक्षा और आर्थिक विकास में. एंडरसन और बोमन द्वारा संपादित। एल्डीन पब्लिशिंग कंपनी, शिकागो। 1965.
11. भट्टाचार्य, सब्यसाची. शिक्षा और वंचित – 19वीं और 20वीं सदी का भारत। ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली। 2002.
12. भट्टी, किरण. "भारत में शैक्षिक अभावः क्षेत्रीय जांच का एक सर्वेक्षण।" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. नंबर 27 और 28. 1998.